टी.आर_सूचना/2017/0019 दिनांक: 31.07.2017

ए.आई.आर.ई.ए के सदस्य के रुप में बासमती चावल के निर्यातक

1. बासमती चावल के निर्यात हेतु स्थितियों के संबंध में आई.टी.सी(एच.एस) की अनुसूची 2 के अध्याय 10 की क्र.सं. 57 के अनुसार "एपीडा, नई दिल्ली के साथ अनुबंधों के पंजीकरण के अधीन निर्यात की अनुमति दी जाएगी। बासमती चावल के निर्यात के लिए अनुबंधों के पंजीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन तथा पंजीकरण सह आवंटन प्रमाण-पत्र (आर.सी.ए.सी) को जारी करने के लिए शर्तों एवं प्रक्रिया के निर्धारण हेतु एपीडा द्वारा समय-समय पर व्यापार सूचना को जारी किया जाता है।

2. यह निर्णय लिया गया है कि एपीडा द्वारा हितधारक के साथ उचित परामर्श के पश्चात् बासमती चावल के निर्यात हेतु आर.सी.ए.सी को जारी करने के लिए पूर्व-स्थिति के रुप में ऑल इंडिया राइस एक्स्पोर्टर्स असोसिएशन (ए.आई.आर.ई.ए) की सदस्यता के व्यापक आधार के लिए प्रक्रिया पर विचार किया जा सकता है।

3. बासमती चावल, भारत का पंजीकृत जी.आई उत्पाद है। बासमती आपूर्ति श्रृंखला की प्रामणिकता में सुधार लाने के क्रम में यह प्रस्तावित किया गया कि बासमती चावल के निर्यातक को अनिवार्य रुप से ए.आई.आर.ई.ए का सदस्य बनाया जाए। बासमती चावल के निर्यात के जेनरिक संवर्धन हेतु ए.आई.आर.ई.ए के माध्यम से एपीडा द्वारा आरंभ की गई गतिविधियों में सभी निर्यातकों की भागीदारी की अपेक्षा की जाती है। इसके द्वारा ए.आई.आर.ई.ए के माध्यम से सभी निर्यातको को भागीदारी की सुविधा प्रदान की जाती है। साथ ही व्यापार अनुशासन में वृद्धि करने हेतु एक मंच उपलब्ध करने के अतिरिक्त एपीडा द्वारा दिए गए व्यापार परामर्श के परिणामस्वरुप अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भारतीय बासमती चावल की बेहतर ब्रांड छवि बनती है।

4. अत: उपरोक्त प्रस्ताव पर हितधारकों से टिप्पणियां एवं सुझाव आमंत्रित हैं। आप अपनी टिप्पणियां 31 अगस्त, 2017 तक श्री उमेश कुमार, सहायक महाप्रबंधक (अनाज) को umeshkumar@apeda.gov.in पर ई-मेल द्वारा भेज सकते हैं।

****